भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2897
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत की भूमिका

†2897. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमियों के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पंचायती राज प्रणाली का उपयोग करने की किस प्रकार योजना बना रहा है;

(ख) क्या देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के गांवों और छोटे शहरों में ग्रामीण उद्यमियों को पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय या पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ढांचे के तहत ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत आजीविका और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कंक्लेव इनसाइट के आधार पर कोई आकलन या अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करने के लिए पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी कोई वित्तीय या अवसंरचनात्मक सहायता योजनाएं हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ) पंचायती राज मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की निगरानी/देखरेख करना है। मंत्रालय का लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और जनसेवा वितरण तंत्र के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी साधन बनाना है, जो स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसी उद्देश्य से, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (छत्तीसगढ़ सहित) में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन क्षमताओं का विकास करना है। वर्तमान में, मंत्रालय का ऐसा कोई योजना नहीं है जिसके तहत पंचायती राज प्रणाली का उपयोग कर ग्रामीण उद्यमियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर काम किया जा रहा हो।

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का भी दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, पंचायतें विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक समर्थन प्रदान करती हैं। पंचायती राज संस्थान-सामुदायिक आधारित संगठन (PRI-CBO) अभिसरण के अंतर्गत, सहयोग हेतु क्षेत्रों की पहचान की गई है और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया में भागीदारी, निगरानी और अनुसरण, ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP) को GPDP में शामिल करने और ग्राम सभा में भागीदारी आदि पर प्रशिक्षित किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उनकी महासंघों का पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के साथ अभिसरण को मजबूत बनाना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में 745 जिलों के 7145 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। अब तक, पूरे देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में, DAY-NRLM आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करता है और कृषि आधारित उद्योगों, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों में संलग्न स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सहायता प्रदान करता है। राज्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDPs) व्यावसायिक कौशल का निर्माण करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

****